भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-I, खंड-I में प्रकाशनार्थ

फा. सं. 6/24/2019-डीजीटीआर
भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
व्यापार उपचार महानिदेशालय
चौथा तल, जीवन तारा भवन, 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110001

दिनांक: 25 फरवरी, 2026

<u>संशोधन अधिसूचना</u>

विषय: चीन जन. गण. से उत्पन्न या वहां से निर्यातित "पॉलीइथाइलीन टेरेफ्थेलेट (पीईटी) रेज़िन के आयातों पर की गई पाटनरोधी जांच में जारी अंतिम निष्कर्षों में संशोधन के संबंध में।

फा. सं. 6/24/2019-डीजीटीआर: समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 और समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा अधिसूचना फा. सं. 6/24/2019-डीजीटीआर दिनांक 28 दिसंबर, 2020 के माध्यम से "पॉलीइथाइलीन टेरेफ्थेलेट (पीईटी) रेज़िन ("संबद्ध वस्तु") के चीन जन. गण. से उत्पन्न या वहां से निर्यातित आयातों पर निश्चित पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की संस्तुति करते हुए अंतिम निष्कर्ष जारी किए गए थे।

2. उक्त संस्तुत व्यक्तिगत पाटनरोधी शुल्कों के प्रभावी क्रियान्वयन तथा समुचित संग्रहण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उक्त अंतिम निष्कर्षों में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है।
3. उक्त अंतिम निष्कर्षों के अनुच्छेद 154 में शुल्क तालिका के तुरंत पश्चात निम्नलिखित अनुच्छेद जोड़ा जाएगा:

"उपरोक्त शुल्क तालिका में उल्लिखित कंपनियों के लिए निर्दिष्ट व्यक्तिगत शुल्क दरों का लागू होना इस शर्त के अधीन होगा कि सीमा शुल्क प्राधिकारियों के समक्ष एक वैध वाणिज्यिक चालान प्रस्तुत किया जाए। उक्त चालान में चालान जारी करने वाली इकाई के अधिकृत

अधिकारी द्‌वारा दिनांकित एवं हस्ताक्षरित एक घोषणा सम्मिलित होगी, जिसमें उसका नाम तथा पदनाम स्पष्ट रूप से उल्लिखित होगा, और जो निम्नलिखित प्रारूप में होगी:

'मैं, अधोहस्ताक्षरी, प्रमाणित करता/करती हूँ कि इस चालान द्‌वारा आच्छादित भारत को निर्यात हेतु बेची गई पॉलीइथाइलीन टेरेफ्थेलेट (पीईटी) रेज़िन की (मात्रा) का निर्माण (कंपनी का नाम एवं पता) द्‌वारा चीन जनवादी गणराज्य में किया गया है। मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि इस चालान में प्रदान की गई जानकारी पूर्ण एवं सत्य है।'

यदि ऐसा कोई चालान प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो अन्य सभी निर्यातकों के लिए लागू पाटनरोधी शुल्क दर लागू होगी।"

यह आवश्यकता लागू सीमा शुल्क कानूनों और विनियमों के अंतर्गत सीमा शुल्क प्राधिकरणों द्‌वारा स्वतंत्र रूप से अपनाई जाने वाली सत्यापन प्रक्रियाओं के अनुपालन को प्रभावित नहीं करेगी ।"

4. यह संशोधन अधिसूचना, अधिसूचना फा. सं. 6/24/2019-डीजीटीआर दिनांक 28 दिसंबर, 2020 द्‌वारा जारी अंतिम निष्कर्षों के साथ पढ़ी जाएगी।

अमिताभ कुमार

(अमिताभ कुमार)

निर्दिष्ट प्राधिकारी